न्यायालय :— उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :— 48 / 2020
प्रकरण दर्ज तिथि :— 17.08.2020

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1.बन्नेसिंह पुत्र गेनसिंह जाति रावत निवासी कायाभीला तहसील रायपुर

1. नारायणसिंह पुत्र प्रेमसिंह
2. चौथसिंह पुत्र रामसिंह
3. सकुडी पत्नि रामसिंह
4. किशोरसिंह पुत्र हुकमसिंह जातिगण रावत निवासीगण कायाभीला तहसील रायपुर
5. तहसीलदार रायपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री भवानी सिंह सोलंकी अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 03.03.2022

प्रार्थी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 111 व 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा कायाभीला पटवार हल्का झाला की चौकी भू.अभि. नि. क्षैत्र कानुजा के खसरा नं 1498 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1500 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम भूमि आयी हुई हैं। उपरोक्त वर्णित आराजीयात की संवत् 2070—2073 की जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस एवं पटवारी हल्का की सीमाकंन बाबत् पालना रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं, जिसे आगे प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात के नाम से जाना जाएगा। वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी की भूमि से आम सउक झाला की चौकी से कानुजा रोड निकल गयी जिससे वादी कि भूमि रोड के दोनो तरफ हो गइ। वादी की भूमि खसरा नं 1498, 1500 के आगे रोड पर आती है और वादी कि वादग्रस्त भूमि के पीछे खसरा नम्बर 1497 आती हैं। किन्तु प्रतिवादीगण अडौसी पडौसी अपने हिस्से से ज्यादा भूमि अर्थात् वादी की उक्त वादग्रस्त जिसे उक्त प्रार्थना पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। जिसकी रजिस्ट्री वाद के साथ पेश हैं जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावें। वाद में आगे उक्त कृषि भूमि को वादग्रस्त आराजी से संबोधित किया जायेगा। अक्सर सीमा को लेकर वाद विवाद चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण काबिज होकर बिना रोक टोक काश्त कर रहे हैं प्रार्थीगण जानवरों से अपनी बोई हुई फसल को बचाने हेतु एवं भविष्य में होने वाली आर्थिक मानसिक हानि से बचने के लिए पत्थर गड्डी करवाना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के सीमाकंन हेतु आवेदन पेश किया जिस पर तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्र कमांक / 426

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

दिनांक 04.03.2014 को हल्का पटवारी, अप्रार्थी को सीमाकंन हेतु आदेश दिया जिसकी पालना में हल्का पटवारी ने दिनांक 12.03.2014 को सीमाकंन करने मौके पर पहुंचे एवं सीमाकंन किया गया। प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त सुदा भूमि सरहद मौजा कायाभीला पटवार हल्का झाला की चौकी भू अभि नि कानुजा के खसरा नं 1498, 1500 की खातेदारी भूमि का नाप चौप कर खेत की सीमाज्ञात कर व पैमाईश करवाकर उक्त भूमि की चारो ओर पत्थगड्डी करवाया जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं जिस कारण विवादित भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड्डी करवाने का आदेश फरमावें, पडोसी खातेदार को प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा नहीं करने हेतु पाबंद करते हुए राजस्व रेकर्ड अनुसार नये सिरे से माठ कायम करने का आदेश फरमावे ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे एवं आवश्यकता होने पर पुलिस प्रशासन भी उपलब्ध करवाये।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता जबाव नहीं देना चाहते है। उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस, पत्रावली के अवलोकन एवं मनन के पश्चात् प्रार्थी की सरहद मौजा कायाभीला पटवार हल्का झाला की चौकी भू.अभि.नि. क्षैत्र कानुजा के खसरा नं 1498 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1500 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार हैं एंव अपने स्वामित्व की भूमि में पत्थरगढ़ी करवाने का विधिक अधिकारी हैं। अतः प्रार्थी की भूमि का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा कायाभीला पटवार हल्का झाला की चौकी भू.अभि.नि. क्षैत्र कानुजा के खसरा नं 1498 रकबा 13 बीघा 04 बिस्वा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1500 रकबा 07 बीघा 15 बिस्वा बारानी दोयम को बाद विधिसम्मत प्रक्रिया अनुसार सीमांकन, पत्थरगड्डी करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को प्रेषित की जावें। तहसीलदार रायपुर मौके पर परिशांति कायम एंव कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद की आवश्यकता होने पर संबधित पुलिस थाने से सम्पर्क कर पुलिस जाप्ता लेने की व्यवस्था करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)